

प्रेस नोट
थाना एरच, झाँसी

दिनांक 15.07.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही ।
- थाना एरच पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार ।
- गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 15.07.2026 को थाना एरच पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ए०सी० जे०एम० गरौठा झाँसी द्वारा जारी आदेशिका/एनबीडब्ल्यू केस नं०-1063/24 धारा 138 एन आई एक्ट थाना एरच झाँसी केस नं०-1063/24 धारा 138 एन आई एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त वक्शी पुत्र खेराती नि० अल्याई कस्बा व थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी उम्र करीब 70 वर्ष को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

वक्शी पुत्र खेराती नि० अल्याई कस्बा व थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी उम्र करीब 70 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० संतोष कुमार
2. हे०का० 222 शिवाजीत सिंह
3. का० 389 नितिन कुमार
4. रि०का० आशू चौधरी